राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं. एफ. 3(1) डीओपी/ए–II/2013 जयपुर, दिनांकः 2 JAN 2017

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 9 का प्रतिस्थापन.**–राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के विद्यमान नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"**9. प्रक्रियात्मक अपेक्षा आदि** .– चयन के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षा जैसे,–

(i) कम्प्यूटर अर्हता पर नियुक्ति के समय जोर नहीं दिया जायेगा। मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को परिवीक्षा की कालावधि के भीतर सुसंगत नियमों में यथाविहित कम्प्यूटर अर्हताओं में से कोई अर्हता प्राप्त करनी होगी, इसमें विफल होने पर उसकी परीवीक्षा को बढ़ाया हुआ समझा जायेगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी, उसका कार्य पूर्णतः असंतोषजनक पाये जाने पर, उसकी सेवाओं को समाप्त न कर दें;

(ii) प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यूटर टंकण पर नियुक्ति के समय जोर नहीं दिया जायेगा। तथापि, आश्रितों से, स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या अंग्रेजी अथवा हिन्दी में से किसी एक भाषा में कम्प्यूटर टंकण परीक्षा तीन वर्ष के भीतर, जब तक कि कार्मिक विभाग द्वारा कालावधि शिथिल न की जाये, उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी, जिसमें विफल होने पर उसकी नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक वह ऐसी अर्हताएं अर्जित नहीं कर लेता है तब तक उसे कोई वार्षिक ग्रेड वेतनवृद्धि अनुज्ञात नहीं की जायेगी। ऐसी अर्हताएं अर्जित करने पर उसे नियुक्ति की तारीख से वार्षिक ग्रेड वेतनवृद्धियां काल्पनिक रूप से अनुज्ञात की जायेंगी किन्तु उसे कोई बकाया संदत्त नहीं किये जायेंगे :

परन्तु इन नियमों के उपबंधो के अधीन नियुक्त विधवा को कम्प्यूटर अर्हता रखने और कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी जायेगी :

परन्तु यह और कि इन नियमों के उपबंधो के अधीन नियुक्त निःशक्त व्यक्तियों को कम्प्यूटर पर टंकण उत्तीर्ण करने से छूट दी जायेगी।

टिप्पण : इस नियम के प्रयोजन के लिए निदेशक, भाषा विभाग अभ्यर्थियों को संख्या को विचार में लाये बिना प्रत्येक वर्ष कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा आयोजित करेगा।"।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

2/1/2017
(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव